उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-6 /2017/13(10)/2004 टी०सी०/का-1-2017
लखनऊ :: दिनांक 03 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-सांख्यिकीय संवर्ग के त्रिस्तरीय पदों के समूह एवं राजपत्रित होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

कार्मिक विभाग द्वारा अध्यारोही प्रभाव की उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012, दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली में त्रिस्तरीय पद परिभाषित हैं, जिसमें सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) वेतनमान वेतन बैण्ड-2 (रू09300-34800, ग्रेड पे रू0 4200), अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) वेतनमान वेतन बैण्ड-2 (रू09300-34800, ग्रेड पे रू0 4600) तथा अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोघ अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वेतनमान वेतन बैण्ड-3 (रू015600-39100, ग्रेड पे रू0 5400) के पद सम्मिलित हैं।

2- उक्त सन्दर्भित नियमावली के त्रिस्तरीय पदों के समूह एवं राजपत्रित होने के सम्बन्ध में अनेकानेक प्रशासकीय विभागों में उत्पन्न हो रहे संशय के निराकरण हेतु एतद्द्वारा सांख्यिकीय संवर्ग के त्रिस्तरीय पदों के समूह एवं राजपत्रित होने के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	समूह
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	वेतन बैण्ड-2 (रू09300-34800, ग्रेड पे रू0 4200) **लेवल-6** **(रू0 35400-112400)**	समूह "ग" अराजपत्रित
2	अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	वेतन बैण्ड-2 (रू09300-34800, ग्रेड पे रू0 4600) **लेवल-7** **(रू0 44900-142400)**	समूह "ख" राजपत्रित
3	अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोघ अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	वेतन बैण्ड-3 (रू015600-39100,ग्रेड पे रू0 5400) **लेवल-10** **(रू0 56100-177500)**	समूह "ख" राजपत्रित

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6 /2017/13(10)/2004 टी०सी०(1)/का-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।